न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 02/2025

शिवजी राम पुत्र श्री काना जाति सिलावट आयु लगभग 63 वर्ष निवासी ग्राम सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर हाल निवासी कंचन विहार कॉलोनी, जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर, जिला ब्यावर, राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 07.10.2025

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम सिलोरा, पटवार हल्का सिलोरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 80 के खसरा नम्बर 7 क्षेत्रफल 1.7798 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी का नाम श्योजीराम पुत्र काना हिस्सा 10/63 जाति सिलावट सा. देह खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम श्योजीराम पुत्र काना का इन्द्राज किया हुआ है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक सरकारी, अर्द्ध सरकारी दस्तावेजी रिकोर्डेड नाम शिवजी राम पुत्र कानाराम है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का घर परिवार में प्यार से बोलता नाम श्योजीराम पुत्र काना, पिता की विरासत खुलवाते समय प्रार्थी के परिवारजन के द्वारा दर्ज करवा दिया गया था उस समय प्रार्थी को जमीन के कागजात के बारे में समझ व जानकारी नहीं थी इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में दर्ज नाम श्योजीराम पुत्र काना को दुरूस्त करवा कर उसके स्थान पर प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी रिकोर्डेड नाम शिवजी राम पुत्र काना का इन्द्राज करवा कर, इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। प्रार्थी के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, विधान सभा निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक आदि सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी दस्तावेजो में रिकोर्डेड नाम शिवजी राम पुत्र कानाराम नाम दर्ज है प्रार्थी की कृषि भूमि के उपरोक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी का नाम श्योजीराम पुत्र काना दर्ज होने से प्रार्थी के दो अलग अलग नाम अंकित होने से प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उक्त श्योजीराम पुत्र काना व शिवजी राम पुत्र कानाराम दोनो नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। जिसके संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत सिलोरा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम श्योजीराम पुत्र काना घर पर प्यार से बोलता नाम अंकित हो रखा है जिसको दुरूस्त करवा कर श्योजीराम पुत्र काना के स्थान पर प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी रिकोर्डेट नाम शिवजी राम पुत्र काना का इन्द्राज करवाना चाहता है। उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का दर्ज नाम श्योजीराम पुत्र काना के नाम को शुद्धिकरण करवा कर प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी वास्तविक नाम शिवजी राम पुत्र काना के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने निवेदन किया कि ग्राम सिलोरा, पटवार हल्का सिलोरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

...र, राजस्थान में स्थित प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी खसरा संख्या 7 ...त्रफल 1.7798 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी को घर पर प्यार से बोलता दर्ज नाम श्योजीराम पुत्र काना के स्थान पर सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी रिकोर्डेड नाम शिवजी राम पुत्र काना का इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर उक्त का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान फरमाया जावें। अप्रार्थी श्रीमान् तहसीलदार साहब को निर्देशित किया जावे कि उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का खातेदारी में दर्ज नाम श्योजीराम पुत्र काना के स्थान पर सही, वास्तविक एवं दस्तावेज में दर्ज नाम शिवजी राम पुत्र काना का अमल दुरूस्ती के आदेश की पालना की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी करवाई गई।

दिनांक 16.04.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के तथ्य इस हद तक स्वीकार है कि ग्राम सिलोरा की जमाबन्दी संम्वत 2067–70 के खाता सं. 80 अनुसार ख. नं. 7 रकबा 1.7798 हैक्टर पर श्योजीराम पुत्र काना हि. 10/63 जाति सिलावट सा देह खातेदार दर्ज है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्व करें।

दिनांक 07.10.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुय निवेदन किया कि ग्राम सिलोरा, पटवार हल्का सिलोरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी खसरा संख्या 7 क्षेत्रफल 1.7798 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी को घर पर प्यार से बोलता दर्ज नाम श्योजीराम पुत्र काना के स्थान पर सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी रिकोर्डेड नाम शिवजी राम पुत्र काना का इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर उक्त का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान फरमाया जावें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वादअधीन भूमि ग्राम सिलोरा स्थित खसरा संख्या 01 रकबा 1.7798 हैक्टेयर में प्रार्थी के नाम श्योजीराम पुत्र काना के स्थान पर शिवजी राम पुत्र काना का अंकन करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजात पंचायत सिलोरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक/कार्या.ग्रा.प.सि. दिनांक 13.12.2024 में पंचायत द्वारा शिवजी राम व श्योजीराम को एक ही होना बताया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 285101023354 में प्रार्थी का नाम शिवजी राम पुत्र कानाराम दर्ज है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या IUG2073450 में प्रार्थी का नाम शिवजी राम पुत्र कानाराम दर्ज है, आयुष्मान कार्ड में प्रार्थी का नाम शिवजी राम दर्ज है, आयकर विभाग द्वारा पेन कार्ड संख्या ATDPK0632J में प्रार्थी का नाम शिवजी राम पुत्र काना राम दर्ज है, साथ ही प्रार्थी द्वारा इस आशय हेतु एक शपथ पत्र भी पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा शपथपूर्वक बयान किया है कि श्योजीराम के स्थान पर शिवजीराम कर दिया जावे। दस्तावेजात के अवलोकन से ताईद है कि श्योजीराम के स्थान पर शिवजी राम किया जाना न्यायौचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेज एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 भू.राज.अधि. स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार करती है। तहसीलदार किशनगढ को आदेश दियें जातें है कि ग्राम सिलोरा के खसरा संख्या 07 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2067–2070)जमाबन्दी सम्वत 2077 वर्ष 2020 से स्थाई में "श्योजीराम पुत्र काना" के स्थान पर प्रार्थी "शिवजी राम पुत्र काना " के नाम का अंकन करें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। अन्य जमाबन्दी इन्द्राज यथावत रहेगा।

आदेश हमारे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)